FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अरांई मुकाम अरांई (अजमेर)

• रघुनाथ पुत्र माधू जाति जाट उम्र 59 साल निवासी ग्राम मोतीपुरा तहसील अरांई अजमेर राज।
–प्रार्थी

बनाम

• रामलाल पुत्र माधू जाति जाट आयु वयस्क निवासी ग्राम मोतीपुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान व अन्य।
–अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा– धारा 212 राज0 का0 अधि0 1955

दर्ज क्रमांक 71 / 2024

ऑनलाइन नंबर 2024 / ....

वकील प्रार्थी:– श्याम मनोहर पुरोहित वकील प्रतिवादीगण........................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
18/7/24...	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री श्याम मनोहर पारीक ने अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधि. 1955 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर होकर पत्रावली किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी दिनांक 26/7/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	
26/7/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० अप्रार्थी के तामील शुदा सम्मन प्राप्त अप्रार्थी ... वकील अप्रार्थी ... अप्रार्थी वास्ते जवाब पत्रावली 30/8/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)	
30/8/24	पत्रावली पेश हुई आज किशनगढ़ बार .... की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/9/24 को पेश हो।	

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित नहीं। प्रकरण में राजीनामा नहीं होने से पत्रावली पूर्व नियत दिनांक 5/5/25 को पेश हो।

राजस्व अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
किशनगढ़

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
किशनगढ़

5/4/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित।
P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश
पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार..............
दिनांक 9/5/25 को पेश हो।

9/5/25 पत्रावली पेश हुई आज ...बार किशनगढ़...
.... की ओर से कार्य स्थगन रखा गया।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/6/25 को
पेश हो।

27/6/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित।
P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश
पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार..............
दिनांक 22/8/25 को पेश हो।

22/8/25 पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण अनुपस्थित। शाम 6 बजे तक रुक-रुक कर आवाजें लगाई गई। किन्तु वादी अनुपस्थित रहें। अत: ~~प्रकरण~~ पत्रावली अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है।